

2025/754  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

रामसिंह शर्मा बनाम तहसीलदार, सीकर ग्रामीण  
किसम मुकदमा 9143 क. ए. 136 CR 114 मु.नं. 378 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17/9/25	<p>प्रार्थीगण रामसिंह पुत्र शकत सिंह, उच्छव कंवर पत्नी शंकत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम अर्जुनपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का गोठड़ा तगालान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 7 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां रामसिंह पुत्र सगतसिंह, उच्छवकंवर पत्नी सगतसिंह दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के नाम की सही प्रविष्टियां क्रमशः रामसिंह पुत्र शकत सिंह, उच्छव कंवर पत्नी शंकत सिंह है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः रामसिंह पुत्र शकत सिंह, उच्छव कंवर पत्नी शंकत सिंह अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां रामसिंह पुत्र सगतसिंह, उच्छवकंवर पत्नी सगतसिंह लाल के स्थान पर उक्त प्रविष्टियां क्रमशः रामसिंह पुत्र शकत सिंह, उच्छव कंवर पत्नी शंकत सिंह दुरुस्त किया जावें।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/2775 दिनांक 12.08.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट्स मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का गोठड़ा तगालान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 7 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां रामसिंह पुत्र सगतसिंह, उच्छवकंवर पत्नी सगतसिंह के स्थान पर उक्त प्रविष्टियां क्रमशः रामसिंह पुत्र शकत सिंह, उच्छव कंवर पत्नी शंकत सिंह दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/2775 दिनांक 12.08.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हैं।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, धौद जिला सीकर</p>

